

## प्रेस नोट

दिनांक 02.08.2022

**शातिर अभियुक्त मोबीन के विरुद्ध मु0स0अ0 181/21 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत धारा 14(1) की गई कार्यवाही, 16 लाख 44 हजार 771 रुपये की संपत्ति की गयी जब्त ।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में राजस्व टीम तहसील मुसाफिरखाना व प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी थाना जगदीशपुर मय हमराही द्वारा, मु0अ0सं0 181/21 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी से संबंधित शातिर अभियुक्त मोबीन पुत्र रफीक निवासी ग्राम गौहर का पुरवा मजरे गड़ेरियाडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा अपराध कर अर्जित की गयी संपत्ति जिसमें एक पक्का मकान (**कुल कीमत लगभग 16 लाख 44 हजार 771 रुपये**) को, अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया । अभियुक्त मोबीन द्वारा उक्त संपत्ति पूर्व में अपराध कारित कर धन एकत्रित करते हुये बनाई गयी है । अभियुक्त मोबीन शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए जघन्य अपराध कारित किया गया है ।

### अभियुक्त का नाम व पता-

- मोबीन पुत्र रफीक निवासी ग्राम गौहर का पुरवा मजरे गड़ेरियाडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

**जब्त की गई सम्पत्ति:- ( कुल कीमत लगभग 16 लाख 44 हजार 771 रुपये)**

- 01 पक्का मकान ।

### जब्त करने वाली टीम:-

#### राजस्व टीम-

1. नायब तहसीलदार श्री बलवीर सिंह तहसील मुसाफिरखाना ।

#### पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. निरीक्षक राहुल कुमार थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 मो0 जावेद थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 रंजीत निषाद थाना थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 प्रदीप पाठक थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
6. म0का0 स्वाति थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
7. म0का0 रीना यादव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 164/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 591/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 325/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
4. 181/21 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।